रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1932] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2012/आश्विन 4, 1934

No. 1932] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2012/ASVINA 4, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

का.आ. 2309(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उक्त अनुसूची में से नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 947 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 360 तथा क्रमश: क्रम संख्या 156ए और 189ए के सामने उल्लिखित संबंधित प्रविष्टियों का एतद्द्वारा विलोपन करती है ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 11एससी तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उक्त अनुसूची का अधिक्रमण अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1832 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2012 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

S.O. 2309(E).— In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central

Government hereby omits New National Highway No. 947 and 360 and the entries relating thereto specified against serial numbers 156A and 189A respectively in the Schedule to the said Act from the said Schedule.

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The Schedule to the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and the said Schedule was superseded vide notification number SO. 689 (E) dated, 4th April, 2011, and last amended vide notification number S.O. 1832 (E) dated 14th August, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

का.आ. 2310(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उक्त अनुसूची में से नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 953 तथा क्रमशः क्रम संख्या 189 और 179ए के सामने उल्लिखित संबंधित प्रविष्टियों का एतद्द्वारा विलोपन करती है ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 11एससी तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1832 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2012 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

S.O. 2310(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits New National Highway No.160 and National Highway No.953 and the entries relating thereto specified against serial number 189 and serial number 179A respectively in the Schedule to the said Act from the said Schedule.

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.1832(E) dated 14th August, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

का.आ. 2311(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग ii खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 138, 206, 186, 161, 183 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों* का विवरण
(1)	(2)	(3)
138	42	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उर्वाकोंडा, अनंतपुर, कादिरी, मदनापल्ली, कुप्पम को जोड़ते हुए तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
206	67	कर्नाटक राज्य में रारा-748 पर रामनगर से प्रारंभ होकर धारवाड़, हुबली, गडग, कोप्पल, हौसपेट, बेल्लारी को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में गुटी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
186	58	राजस्थान राज्य में रारा-52 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लदनून, नागौर, मेड़ता सिटी, अजमेर, ब्यावर, देवगढ़, उदयपुर, कुमदल नया खेड़ा, झोडल, सौम, नलवा दइया को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में ईदर वदाली, धरोई, सतलासाना को जोड़ते हुए रारा-27 पर पालनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
161	348	महाराष्ट्र राज्य में पलसपे के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जेएनपीटी-[एसएच-54 (किमी 6/400 से किमी 14/550) के गावनफाटा-आमरा मार्ग (किमी 0/00 से किमी 6/500) खंड] को जोड़ते हुए पालम सड़क बीच सड़क जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
183	56	राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नौंबाहेड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए, गुजरात राज्य में झालौड़, उंबी, दाहोद को जोड़ते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में भाबरा, अलीराजपुर को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में बोदील, छोटा उदयपुर, राजपिपला, नेतरंग, व्यारा, बांसदा, धर्मपुर को जोड़ते हुए रारा-48 पर वापी में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

*उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं हैं ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

S.O. 2311(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Table to the said notification, for serial numbers 138, 206, 186, 161, 183 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways *
(1)	(2)	(3)
138	42	The highway starting from its Junction with NH-67, connecting Urvakonda, Anantapur, Kadiri, Madanapalle, Kuppam in the state of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-44 near Krishnagiri in the state of Tamil Nadu.
206	67	The highway starting from Ramnagar on NH-748, connecting Dharwad, Huballi, Gadag, Koppal, Hospet, Bellary in the state of Karnataka and terminating at its junction with NH-44 near Gooty in the state of Andhra Pradesh.
186	58.	The highway starting from its junction with NH-52 near Fatehpur connecting Ladnun, Nagaur, Merta City, Ajmer, Beawar, Devgarh, Udaipur, Kumdal Naya Kheda, Jhodal, Som, Nalwa Daiya in the state of Rajasthan, Idar Vadali, Dharoi, Satlasana and terminating at Palanpur on NH-27 at in the state of Gujarat .
161	348	The highway starting from its junction with NH-48 near Palspe connecting JNPT – [Gavanphata section of SH-54 (Km 6/400 to Km 14/550) & Amara Marg (Km 0/00 to Km 6/500)] terminating at its junction Palm Beach road in the state of Maharashtra.
183	56	The highway starting from its junction with NH-27 near Chittaurgarh connecting Nombahera, Partapgarh, Banswara in the state of Rajasthan, Jhalod , Umbi, Dahod in the state of Gujarat, Bhabra , Alirajpur in the state of Madhya Pradesh, Bodeil, Chhota Udaipur, Rajpipla, Netrang, Vyara, Bansda, Dharampur and terminating at Vapi on NH-48 in the state of Gujarat.

* The National Highway numbers mentioned in column (3) of the above table are new National Highways numbers.

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

का.आ. 2312(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों* का विवरण
(1)	(2)	(3)
169ए	150	कर्नाटक राज्य में रारा-50 पर कलबुर्गी (गुलबर्गा) से प्रारंभ होकर वाडी, यादगिरी को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-167 पर कृष्णा में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
114ए	133	बिहार राज्य में रारा-33 पर के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर झारखंड राज्य में गोड्डा को जोड़ते हुए रारा-114ए पर चोपा मोड़ पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
88एए	327ए	बिहार राज्य में रारा-327 सुपौल से प्रारंभ होकर रारा-27 पर भप्तियाही में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
75ए	122ए	बिहार राज्य में रारा-22 पर विश्वनाथपुर चौक से प्रारंभ होकर कोइली को जोड़ते हुए रारा-527सी पर नानपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
1एए	501	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पंचतरणी, चंदनवाड़ी, पहलगाम, बाटाकुट, मारतंड को जोड़ते हुए रारा-44 पर खानाबल में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
192एए	162ए	राजस्थान राज्य में रारा-162 पर मावली से प्रारंभ होकर फतेहनगर, दरीबा, रेलमार्ग को जोड़ते हुए रारा-758 पर खंडेल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
165ए	848	महाराष्ट्र राज्य में रारा-48 पर थाणे से प्रारंभ होकर नासिक, पेंट को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में कपरादा को जोड़ते हुए रारा-48 परदी में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

*उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं हैं ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 11एससी तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1832 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2012 द्वारा किया गया था ।

3670 GI/12-2.

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

S.O. 2312(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways *
(1)	(2)	(3)
169A	150	The highway starting from Kalburgi (Gulbarga) on NH-50 connecting Wadi, Yadgir in the state of Karnataka and terminating at Krishna on N.H-167 in the state of Andhra Pradesh.
114A	133	The highway starting from its junction with NH-33 in the state of Bihar connecting Godda and terminating at Choupa More on NH-114A in the state of Jharkhand.
88AA	327A	The highway starting from Supaul on NH-327 and terminating at Bhaptiahi on NH-27 in the state of Bihar.
75A	122A	The highway starting from Vishwanathpur Chowk on NH-22 connecting Koili, and terminating at Nanpur on NH-527C in the state of Bihar.
1AA	501	The highway starting from its junction with NH-1 connecting Panchtarni, Chandanwari, Pahalgam, Batakut, Martand and terminating at Khanabal on N.H-44 in the state of Jammu & Kashmir.
192AA	162A	The highway starting from Mavli on NH-162 connecting Fatehnagar, Dariba, Railmagra and terminating at Khandel on NH-758 in the state of Rajasthan.
165A	848	The Highway starting from Thane on NH-48 connecting Nasik, Peint in the state of Maharashtra, Kaprada and terminating at Pardi on NH-48 in the state of Gujarat.

* The National Highway numbers mentioned in column (3) of the above table are new N.H nos.

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.1832(E) dated 14th August, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.